फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री निलेश सिंह निवासी नन्दावट तहसील भीम जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 69/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित ऑनलाईन प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1 ( ) सू0अ0,05/2025/708 दिनांक 14.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 24.06.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध इस कार्यालय से नही होकर जिला परिषद्, राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 513—14 दिनांक 30.06.2023 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3)(1)(2) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई एवं प्रार्थी को जरिये ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भी अवगत कराया गया। अतः प्रार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर जिला परिषद राजसमन्द की होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध इस कार्यालय से नही	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

होकर जिला परिषद्, राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 513–14 दिनांक 30.06.2023 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई एवं प्रार्थी को जरिये ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भी अवगत कराया गयां।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 513–14 दिनांक 30.06.2023 से अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद राजसमन्द को अन्तरण कर दिये जाने तथा उक्त बाबत अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित पत्र व ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सूचित करा दिये जाने एवं इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त अपील को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)